

भारतीय मानक ब्यूरो
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
भारत सरकार
BUREAU OF INDIAN STANDARDS
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
Government of India

हमारा संदर्भ: नाशाका/सी एम/एल - 7400051247

दिनांक - 29 अगस्त 2023

विषय : आई एस 17265:2022 के अनुरूप भा. मा. ब्यूरो प्रमाणन मुहर लाइसेंस संख्या सी एम/एल - 7400051247 प्रदान करने के संबंध/संदर्भ में | / Grant of BIS Product Certification Licence No.- CM/L- 7400051247 as per IS 17265:2022.

पी वी टेक्सटाइल्स लिमिटेड
Pee Vee Textiles Limited
एन एच नं. 44, पोस्ट जाम, तहसील समुद्रपुर
N H No. 44, At Post Jam, Tehsil Samudrapur,
जिला - वर्धा, महाराष्ट्र 442305.
Distt.- Wardha, Maharashtra 442305.

महोदय/ Dear Sir,

आपके आवेदन के संदर्भ में हम यह सहर्ष सूचित करते हैं कि आपको अपने निम्न उत्पाद पर मानक मुहर का उपयोग करने के लिए सर्टिफिकेशन मार्क्स लाइसेंस जारी किया गया है:

With reference to your application, we are pleased to inform you that the Certification Marks Licence has been granted to you to use the Standard Mark in respect of the following:

उत्पाद / Product : बस्त्रादि -100 प्रतिशत पालिएस्टर कते हुए कोरा एवं सफेद धागे/ Textiles - 100 Percent polyester spun grey and white yarns .

ग्रेड/क्लास/टाइप/किस्म : Type of Yarn (Based on No. of Folds) : Single Yarn, Type of yarn (based on material and process) : Virgin Polyester Yarn, Ring Spun, Air jet and Air vortex, Type of Yarn Based on Cross-Section / Construction : Cross Sectional View -Circular, Cross Sectional Area - Solid, Type of Yarn Based on Lustre : Semi Dull (SD), Type of Yarn Based on Dyeing Method : Disperse Dyeable [Conventional Dyeable (COD)], Yarn Linear density range declared : 16s Ne to 32s-Ne, Optional /Additional Requirements : Non-Flame Retardant, Non Anti-Microbial, Non-Ultra Violet Light Resistant, Non Moisture Management Yarn, ECO Mark : Without ECO Mark.

आई एस : 17265:2022 के अनुसार / As per IS 17265:2022.

2. आपको प्रदान किए गए लाइसेंस का नंबर सी एम/एल - 7400051247 है, जो दिनांक 29/06/2023 से लागू है तथा दिनांक 28/06/2024 तक वैध है। आपके द्वारा किए जाने वाले पत्राचार में इस लाइसेंस नंबर का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए। The number assigned to this licence is CM/L- 7400051247, which has been made operative from 29/06/2023 and is valid upto 28/06/2024. The licence number shall invariably be referred to in your future correspondence.

3. आपको यह लाइसेंस इस सस्पष्ट शर्त पर प्रदान किया जाता है कि आप उक्त भारतीय मानक के अनुरूप खरा उतरने वाले समस्त /अधिकांश उत्पादन पर मानक मुहर लगाएंगे तथा उपयुक्त भारतीय मानकों के अनुरूप बनाए रखेंगे। तदनुसार, आप पूरे उत्पादन को मानक चिह्न के साथ लाइसेंस के दायरे में शामिल करेंगे और उपयुक्त भारतीय मानकों के अनुरूप बनाए रखेंगे। इसके अलावा, आप अपने पास मौजूद बीआईएस उत्पाद प्रमाणीकरण लाइसेंस को अपने परिसर में प्रमुखता से प्रदर्शित करेंगे और अपने वाणिज्यिक विज्ञापनों में आपके पास मौजूद बीआईएस उत्पाद प्रमाणन लाइसेंस का भी उल्लेख करेंगे।

एन. आय. टी. बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, गोकुलपेठ, नागपुर 440010
ईपीबीएक्स: - (0712) 2565171, 2554267
ई-मेल: ngbo@bis.gov.in वेबसाइट: www.bis.gov.in

NIT Building, Second Floor, Gokulpeth, Nagpur 440010

EPBX - (0712) 2565171, 2554267

e-mail: ngbo@bis.gov.in Website: www.bis.gov.in

For detailed information on BIS, consult the e-BIS Portal (www.manakonline.in)

Please use "BIS CARE APP" for verification of ISI-marked goods and hallmarked gold jewellery



भारतीय मानक ब्यूरो
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
भारत सरकार
BUREAU OF INDIAN STANDARDS
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
Government of India

The licence is granted on the explicit condition that you shall mark entire production under scope of licence with Standard Mark and maintain conformity to the relevant Indian Standards. Accordingly, you shall cover the entire production under scope of licence with Standard Mark and maintain conformity to the relevant Indian Standards. In addition, you shall display the BIS product certification licence held by you prominently at your premises and also mention the BIS product certification licence held by you in your commercial advertisements.

4. भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) विनियम, 2018 के सब-पैराग्राफ (1) एवं (3) के पैराग्राफ 5 के स्कीम-1 के शेड्यूल-II के अनुसार आपके द्वारा 1000/- रू वार्षिक लाइसेंस शुल्क एवं मुहरांकन शुल्क का अग्रिम भुगतान स्कीम -1 के Annexure-I के अनुसार भा. मा. ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) विनियम, 2018 के अनुसार मानक मुहर लगाने के लिए लाइसेंस की वैधता अवधि के लिए दिनांक 29/06/2023 से किया जाना है।

According to Sub-Paragraph (1) & (3) of Paragraph 5 of Scheme -I of Schedule-II under Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018, the annual licence fee of Rs 1000/- and the marking fee as notified is payable by you with effect from 29/06/2023 for the period of validity of the licence in advance.

5. आपके द्वारा न्यूनतम मुहरांकन शुल्क का भुगतान भा. मा. ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) विनियम, 2018 के एनेक्स-1 के स्कीम-1 के अनुसार किया जाएगा, चाहे आपने अपने उत्पाद पर मानक मुहर का उपयोग किया हो अथवा नहीं। प्रथम वर्ष के प्रचालन अवधि के लिए लाइसेंस शुल्क और न्यूनतम मुहरांकन शुल्क के लिए हमारी रसीद संख्या AA74PC2022001265 दिनांक 31/03/2023 है। Minimum marking fee stipulated under in Annexure-I of Scheme-I of BIS (Conformity Assessment) Regulation, 2018 is payable by you regardless of the fact whether you actually mark your product or not with the Standard Mark. Our Receipt No. AA74PC2022001265 dated 31/03/2023 for the licence fee and the minimum marking fee for the first operative period is already issued.

6. यह अग्रिम न्यूनतम मुहरांकन शुल्क प्रत्येक नवीकरण के समय अगले वर्ष के लिए जमा रहेगा। नवीकरण के समय आपको मुहरांकित उत्पादन पर इकाई दर के अनुसार, या वास्तविक मुहरांकन शुल्क या न्यूनतम मुहरांकन शुल्क, जो भी अधिक हो, का भुगतान करना होगा।

This advance minimum marking fee will be carried over to the next year on every renewal. The actual marking fee calculated on the unit rate on the production marked or the minimum marking fee, whichever is higher shall be payable by you at the time of renewal.

7. उत्पाद की मुहरांकित मात्रा की रिपोर्ट एवं इकाई दर के आधार पर मुहरांकन शुल्क की गणना और उसकी प्राप्ति को सुचारू बनाने की दृष्टि से प्रथम नवीकरण के समय शुल्क की गणना लाइसेंस जारी होने के प्रथम नौ माह के दौरान मुहरांकित उत्पाद पर की जाएगी। द्वितीय तथा आगे के नवीकरण के समय यह गणना पूर्व वर्ष के अन्तिम तीन माह तथा चालू वर्ष के प्रथम नौ माह को शामिल करते हुए 12 महीनों के दौरान मुहरांकित उत्पाद पर की जाएगी। लाइसेंस के समाप्त होने की स्थिति में मुहरांकन शुल्क की गणना समाप्ति की तिथि तक के समस्त मुहरांकित उत्पादन पर की जाएगी।


With a view to streamlining the reporting of quantity marked, calculation and collections of marking fee on the unit rate basis, fees will be calculated on the production marked during the first nine months of operation of the licence at the time of first renewal and on the production marked during twelve months comprising the last three months of the previous operative year, and the first nine months of the current operative year at the time of second and subsequent renewals. In case the licence expires, the entire production marked till the expiry date shall be taken into account for calculating the marking fee payable.

एन. आय. टी. बिल्डिंग, दुसरी मंजिल, गोकुलपेठ, नागपुर 440010
ईपीबीएक्स :- (0712) 2565171, 2554267
ई-मेल: ngbo@bis.gov.in वेबसाइट: www.bis.gov.in

NIT Building, Second Floor, Gokulpeth, Nagpur 440010
EPBX - (0712) 2565171, 2554267
e-mail: ngbo@bis.gov.in Website: www.bis.gov.in

For detailed information on BIS, consult the e-BIS Portal (www.manakonline.in)

Please use "BIS CARE APP" for verification of ISI-marked goods and hallmarked gold jewellery



भारतीय मानक ब्यूरो
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
भारत सरकार
BUREAU OF INDIAN STANDARDS
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
Government of India

8. आपके द्वारा स्वीकृत निरीक्षण एवं परीक्षण योजना (SIT) का पूर्णतया सख्ती से अनुपालन आपको करना होगा। इस योजना के प्रचालन की निगरानी आपके संगठन में गुणता नियंत्रण कार्य के लिए जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा करनी होगी। अतः उनका नाम एवं पदनाम हमें सूचित करें। इस संबंध में आपको भविष्य में होने वाले किसी भी प्रकार के परिवर्तन की सूचना हमें प्रेषित करनी होगी।

The Scheme of Inspection and Testing (SIT) submitted by you and agreed by BIS will or the Scheme of Inspection and Testing as specified by BIS* have to be implemented by your organization strictly and completely. The supervision of the operation of the Scheme shall be done by a person responsible for the quality control function in your organization. Kindly inform us the name and designation of the person who will be held responsible for the operation and maintenance of the Scheme. Any future change in this respect will have to be communicated by you to us as and when these take place.

9. हम मानक मुहर के अधिमान्य आयामों का विवरण सलग्न कर रहे हैं ताकि आप उपरोक्त उत्पाद पर मुहर लगाने के लिए मानक मुहर का डिजाइन बना सकें। मानक मुहर का किसी भी साइज़ में फोटो अनुमत है। इससे मानक मुहर के विभिन्न आयामों में समानुपात बनाया रखा जा सकेगा। जहाँ तक संभव हो, अधिमान्य आयामों का ही उपयोग किया जाए।

We are enclosing a sheet giving the preferred dimensions of the Standard Mark to enable you to prepare the designs of the Standard Mark for marking the above product. Photographic reduction in any size is permissible. This will ensure the relative proportions of the different dimensions maintained. Preferred dimensions be used as far as possible.

10. आपके जिस उत्पाद के लिए लाइसेंस दिया गया है, आप उसके मुहरांकित होने का विज्ञापन लाइसेंस की वैधता के दौरान दे सकते हैं। लैटरहेड और प्रचार साहित्य में मानक मुहर के उपयोग की अनुमति तभी दी जाएगी, जब आप आश्वासन देंगे कि लाइसेंस के समाप्त या रद्द होने की दशा में आप उन प्रचार साहित्य, लैटरहेड इत्यादि को नष्ट कर देंगे अथवा उन पर से मानक मुहर को मिटा देंगे।

On commencement of marking of your product for which you are licensed, you may advertise your product with Standard Mark in various media only during the validity of your licence. The use of Standard Mark on letterheads and publicity literature will be permitted only on receipt of your assurance that in the event of cancellation or lapsing of your licence, the Standard Mark on your letterheads, publicity literatures etc. will be destroyed/obliterated.

11. यह लाइसेंस विनिर्माण परिसर एन एच नं. 44, एट पोस्ट जाम, तहसील समुद्रपुर, जिला - वर्धा, महाराष्ट्र 442305 के लिए प्रदान किया गया है। इस लाइसेंस के अंतर्गत प्राप्त विशेषाधिकारों का उपयोग आप किसी अन्य फर्म/कंपनी/ फैक्ट्री इत्यादि के लिए नहीं करेंगे। यह लाइसेंस अहस्तांतरणीय है। निर्माण एवं जाँच उपकरणों के लाइसेंसशुदा परिसर से किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित होने की स्थिति में नए परिसर में स्थानांतरित निर्माण एवं जाँच सुविधाओं का BIS द्वारा संतोषजनक निरीक्षण कर लेने तथा लाइसेंस में नये परिसर को शामिल कर देने तक आपको मानक मुहर का उपयोग बंद करना होगा।

The licence is granted for your manufacturing premises situated at N H No. 44, At Post Jam, Tehsil Samudrapur, Distt.-Wardha, Maharashtra 442305. Privileges under the licence shall not be exercised by any other firm/company/factory etc. This licence is not transferable in the event of shifting the manufacturing and testing equipment from the licenced premises to some other place, use of Standard Mark shall be stopped till the new premises are inspected and found to be satisfactory by BIS in respect of manufacturing and testing facilities available there and address of the new premises is endorsed in the licence.

12. आपको यह भी सलाह दी जाती है कि आप स्वयं को और अपने संगठन के अन्य कर्मचारियों को भी बीआईएस अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के बारे में जागरूक करें, और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों का विशेष रूप से किसी भी मामले में जानबूझकर या अनजाने में पालन न करने पर उचित कार्यवाही की जा सकती है।

एन. आय. टी. बिल्डींग, दुसरी मंज़िल, गोकुलपेठ, नागपुर 440010
ईपीबीएक्स :- (0712) 2565171, 2554267
ई-मेल: ngbo@bis.gov.in वेबसाइट: www.bis.gov.in

NIT Building, Second Floor, Gokulpeth, Nagpur 440010

EPBX - (0712) 2565171, 2554267

e-mail: ngbo@bis.gov.in Website: www.bis.gov.in

For detailed information on BIS, consult the e-BIS Portal (www.manakonline.in)

Please use "BIS CARE APP" for verification of ISI-marked goods and hallmarked gold jewellery



भारतीय मानक ब्यूरो
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
भारत सरकार
BUREAU OF INDIAN STANDARDS
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
Government of India

You are also advised to make yourself and other employees in your organisation aware about the provision of the BIS Act, 2016 and Rules and Regulations framed thereunder especially the implications in case of any intentional or unintentional non-adherence.

धन्यवाद / Thanking you,

संलग्न: उपरोक्त अनुसार/Encl: As above.

हेमंत बी. आडे

(हेमंत बी आडे / HEMANT B ADE)
वैज्ञानिक ई, निदेशक एवं प्रमुख / Scientist E, Director & Head

हेमंत बी. आडे / HEMANT B. ADE
वैज्ञानिक 'ई' एवं प्रमुख / SCIENTIST 'E' & HEAD
भारतीय मानक ब्यूरो
BUREAU OF INDIAN STANDARDS
एन.आय.टी बिल्डिंग, गोकुलपेठ, नागपुर-440 010
NIT BUILDING, GOKULPETH, NAGPUR-440 0 10

एन. आय. टी. बिल्डिंग, दुसरी मंज़िल, गोकुलपेठ, नागपुर 440010
ईपीबीएक्स :- (0712) 2565171, 2554267
ई-मेल: ngbo@bis.gov.in वेबसाइट: www.bis.gov.in

NIT Building, Second Floor, Gokulpeth, Nagpur 440010

EPBX - (0712) 2565171, 2554267

e-mail: ngbo@bis.gov.in Website: www.bis.gov.in

For detailed information on BIS, consult the e-BIS Portal (www.manakonline.in) | Please use "BIS CARE APP" for verification of ISI-marked goods and hallmarked gold jewellery